राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान

क्रमांकः नर्सिंग/एफ–2/नर्स श्रे.द्वि./एमएनआईटी/(सीधी भर्ती–2018)/2018/324 दिनांकः 28/6/18

1. निदेशक, जनस्वा0/आरसीएच/आई.ई.सी./एड्स/आर.आर.सी./मोबाईल सर्जिकल यूनिट/SIHFW।
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
   राजकीय मेडिकल कॉलेज/झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसायटी/राजकीय डेन्टल कॉलेज।
3. परियोजना निदेशक, एनएचएम/एड्स।
4. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
9. उप निदेशक, राजकीय औषधि परिक्षण प्रयोगशाला, जयपुर।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।

विषयः– नर्सिंग एवं पैरामेडिकल नियमित भर्ती 2018 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों की पालना मे अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल नियमित भर्ती–2018 में एनजीओ/प्लेसमेंट एजेंसी एवं 108 एम्बुलेन्स योजना में कार्यरत संविदाकर्मियों को अनुभव का लाभ दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में अनेको याचिकायें दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा विभिन्न तिथियों को निर्णय पारित किया गया है। जो मूल रूप से याचिका संख्या 3622/2013 श्री मनोहर सिंह बनाम सरकार व अन्य के अनुरूप ही निर्णित किया है, जिसके विरूद्ध सक्षम स्तर से नो अपील का निर्णय लिया जा चुका है, जिसकी पालना में नर्सिंग पैरामेडिकल नियमित भर्ती–2018 के संबंध में गठित नीतिनिर्धारण समिति की बैठक में एनजीओ/प्लेसमेंट ऐजेंसी एवं 108 एम्बुलेंस योजना में कार्यरत संविदाकर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह अनुभव प्रमाण पत्र आप द्वारा जारी किया जाना है, जिसके संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि........

1. सर्वप्रथम इस संबंध में एनजीओ/प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड/दस्तावेज/वेतन स्लिप एवं उपस्थिति पंजिका आदि प्रस्तुत किये जाने पर आप द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावें।
2. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 एवं उसके तहत् राज्य सरकार/निदेशालय स्तर से समय समय पर जारी समस्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें।
3. विज्ञापित पदों के लिये अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में समय–समय पर जारी समस्त निर्देशो/आदेशो की पालना की जावें।

आप द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही अभ्यर्थियें को अनुभव का लाभ दिया जावेगा इसलिये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरती जावे तथा आपकी संतुष्टि के लिये जो भी दस्तावेज वांछित हो संबंधित ऐजेन्सी से प्राप्त किया जावें तत्पश्चात् ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावे क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व आपका है।

अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जारी किया जावें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग / एफ–2 / नर्स श्रे.द्वि. / एमएनआईटी / (सीधी भर्ती–2018) / 2018 / 324 दिनांकः 28/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4 प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
5 विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2, 5 एवं एनआरएचएम) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8 प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान जयपुर।
9 समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
11 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
12 प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13 रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर